उत्तराखण्ड शासन

वित्त विभाग

तृतीय राज्य वित्त आयोग

(पंचायती राज एवं नगरीय स्थानीय निकाय)
(वर्ष 2011–2016)

के

प्रतिवेदन

की

अन्य संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा
की गई कार्यवाही का

स्पष्टीकारक ज्ञापन

उत्तराखण्ड शासन
वित्त विभाग

विषयः— तृतीय राज्य वित्त आयोग,उत्तराखण्ड द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रतिवेदन की अन्य संस्तुतियों पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में स्पष्टीकारक ज्ञापन।

संविधान के अनुच्छेद 243 झ (4) तथा 243 म (2) में इंगित व्यवस्थानुसार पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के लिए संसाधनों के अन्तरण तथा उनकी वित्तीय व्यवस्था में सुधार के उपायों की संस्तुति देने हेतु प्रदेश में तृतीय राज्य वित्त आयोग का गठन 02 दिसम्बर,2009 को किया गया था। इस आयोग ने 01 अप्रैल,2011 से 31 मार्च,2016 तक पाँच वर्षों की अवधि में प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को राज्य के शुद्ध कर राजस्व से अन्तरण की जानी वाली धनराशि तथा उनकी अन्य वित्तीय एवं प्रशासकीय व्यवस्थाओं के विषय में अपना प्रतिवेदन दिनांक 13 जून 2011 को महामहिम श्री राज्यपाल को प्रस्तुत किया गया जिसमें निहित वित्तीय अन्तरण की संस्तुतियों को राज्य सरकार द्वारा 01 अप्रैल, 2011 से कतिपय संशोधनों के साथ कार्यान्वयन किये जाने का निर्णय लिया गया था तथा वित्तीय अन्तरण की संस्तुतियों पर स्पष्टीकारक ज्ञापन पूर्व में 30 मई,2012 को विधान सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया था।

आयोग द्वारा की गई अन्य संस्तुतियाँ	राज्य सरकार का निर्णय
(1) राज्य में कराधान प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता है। **(प्रस्तर 4.20)**	संस्तुति स्वीकार की गयी।
(2) वैट का आधार अधिक व्यापक बनाया जाना चाहिए। **(प्रस्तर 4.24)**	संस्तुति स्वीकार की गयी।
(3) मोटर वाहन कराधान तथा आबकारी के लिए कर ढांचे की आवधिक समीक्षा की जाए तथा पड़ोसी राज्यों के कर ढांचे और पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए उसे तर्कसंगत बनाया जाए। **(प्रस्तर 4.25)**	संस्तुति स्वीकार की गयी।

(4) पर्यटक क्षेत्रों में होटल तथा रेस्तरां को वाज़िब दर पर सीमित अवधि के लिए मयखानों (बार) के लिए लाइसेंस स्वीकृत किए जाए। **(प्रस्तर 4.26)**	संस्तुति स्वीकार की गयी।
(5) गन्ना, शीरा और फल आधारित शराब उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहिए। **(प्रस्तर 4.27)**	संस्तुति स्वीकार की गयी।
(6) होटल, धर्मशाला, गैस्ट हॉउस, आश्रम, टेंट आवास आदि, जिन पर होटल प्राप्ति कर के तहत कोई कर नहीं लगता उन पर नियत दर पर कर लगाया जाए और शहरी स्थानीय निकायों तथा जिला पंचायतों को अपने–अपने अधिकार क्षेत्र में उनकी वसूली और विनियोजन करने का अधिकार दिया जाए। **(प्रस्तर 4.28)**	संज्ञान में लिया गया है। पंचायतीराज एवं शहरी विकास विभाग कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
(7) कर प्रशासन, संग्रह की लागत में कमी करने तथा स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन देने और समय–समय पर सर्वेक्षण, विभिन्न सरकारी विभागों के बीच सूचनाओं का आदान–प्रदान और अधिक अभिसरण द्वारा आधार को व्यापक बनाए जाने हेतु ध्यान केन्द्रित किये जाने की आवश्यकता है। **(प्रस्तर 4.32)**	संस्तुति स्वीकार की गयी।
(8) जिन क्षेत्रों में करेत्तर राजस्व की पूरी क्षमता का दोहन किया जाना है वे हैं वन तथा वन्यजीव, विद्युत, अलौह तथा धातुकर्मीय उद्योग। विभिन्न अन्य उपभोक्ता प्रभारों, शुल्क जैसे सिंचाई दरों, शैक्षिक फीस, अस्पताल प्रभारों, चिकित्सा महाविद्यालयों में फीस आदि संशोधित करने की आवश्यकता है। **(प्रस्तर 4.34)**	स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति स्वीकार की गई है। अन्य सम्बन्धित विभागों को संज्ञान में लिया गया। विभाग कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

(9) विद्युत क्षेत्र, विशेष रूप से वितरण भाग, की ओर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। विद्युत वितरण को निजी क्षेत्र में देने या फ्रेंचायजी के माध्यम से विद्युत के वितरण की संभावनाओं की गंभीरता से तलाश की जानी चाहिए। उत्पादन स्थल से लेकर उपभोक्ता तक सभी स्तरों पर मीटर लगाए जाने चाहिए और प्रभावी ढंग से अनुश्रवण होना चाहिए। प्रकिया को सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ बनाने के साथ–साथ बेहतर प्रवर्तन तंत्र से हानि और चोरी को रोकने में मदद मिलेगी। बिजली चोरी की रोकथाम तथा वसूली और संग्रह में सुधार करने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। **(प्रस्तर 4.39)**	सभी विद्युत गृहों, मशीनों एवं फीडरों पर मीटरिंग की जा रही है। विद्युत गृहों में सिस्टम से अनुश्रवण एवं डाटा का रख–रखाव सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से प्रस्तावित है। स–समय संग्रह के लिए पावर परचेज एग्रीमेन्ट किये गये हैं। उक्त आख्या के अनुसार संस्तुति स्वीकार की गई है।
(10) पंत नगर विश्वविद्यालय,इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा मेडिकल कॉलेजों जैसे तकनीकी संस्थानों में शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) संशोधित किये जाने की आवश्यकता है। जरूरतमंद तथा मेधावी छात्रों को सहायता देने के लिए योग्यता–सह–साधन आधारित छात्रवृति योजना तैयार की जानी चाहिए। जो लोग अधिक फीस अदा कर सकते हैं उनके लिए परिदान (सब्सिडी) तत्काल समाप्त की जानी चाहिए। **(प्रस्तर 4.44)**	चिकित्सा शिक्षा विभाग की संस्तुति स्वीकार की गयी है। संज्ञान में लिया गया है। अन्य सम्बन्धित विभाग कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
(11) सिंचाई दरों में संशोधन करने के लिए स्वजल प्रणाली अर्थात पर्याप्त प्रयोक्ता प्रभारों सहित अधिक सहभागीदारी की अवधारणा की ओर धीरे–धीरे अग्रसर होने की व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए। **(प्रस्तर 4.45)**	संज्ञान में लिया गया। सिंचाई विभाग कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

(12) समस्त उपभोक्ता प्रभारों/शुल्क आदि की आवधिक समीक्षा करने और कीमतों के साथ इस प्रकार सूचकांकित किये जाने की आवश्यकता है ताकि लागत में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी का समाधान मूल्य सूचकांकन माध्यम, कम से कम निवेश लागत (इनपुट कॉस्ट) के सम्बंध में, हो सके। **(प्रस्तर 4.46)**	संस्तुति स्वीकार की गयी।
(13) वेतन के बढ़ते खर्च को नियंत्रित करने के लिए पुनः तैनाती (रिडिप्लॉयमेंट), उचित आकार तथा सेवाओं को बाहर से कराने (आउट सोर्सिंग) के साथ–साथ 'तैनाती में नियंत्रण' की नीति होनी चाहिए। **(प्रस्तर 4.50)**	संस्तुति स्वीकार की गयी।
(14) गुणवत्तापरक शिक्षा के अर्थ में परिव्यय को परिणामों से जोड़ने की तत्काल आवश्यकता है। साथ ही वैकल्पिक प्रदाय प्रणाली (अल्टरनेट डिलिवरी सिस्टम) की संभावना भी तलाशी जानी चाहिए। तथापि, गुणवत्ता और पहुँच में सुधार करने के लिए दक्ष,संधारणीय तथा व्यवहार्य सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रारूपों (मॉडल्स) के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। **(प्रस्तर 4.55)**	संस्तुति स्वीकार की गयी।
(15) जहां तक व्यय में परिव्यय–परिणाम सम्बंध का विषय है एक सुदृढ़ तथा कारगर सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम. आई. एस.) को लागू करने की आवश्यकता है। **(प्रस्तर 4.56)**	संस्तुति स्वीकार की गयी।
(16) व्यय का एक महत्वपूर्ण पहलू वर्षों की मेहनत से सृजित परिसंपत्तियों का दक्ष प्रचालन है। परिसंपत्तियों के रखरखाव और प्रचालन पर भी एम.आई.एस. द्वारा गहन अनुश्रवण रखने की आवश्यकता है ताकि निवेश पर पर्याप्त प्रतिफल सुनिश्चित किया जा सके। **(प्रस्तर 4.57)**	संस्तुति स्वीकार की गयी।

(17) परिदानों (सब्सिडीज) की समीक्षा करना, उनका लगातार अनुश्रवण करना तथा जहाँ उनकी उपादेयता समाप्त हो चुकी है वहाँ उन्हें समाप्त करना एवं समुचित लक्ष्य निर्धारण (टारगेटिंग) उपयोगी होगा। सब्सिडी की चोरी, हेरफेर को रोकने और बेहतर लक्ष्य निर्धारण के उद्देश्य से सशर्त नगद अंतरण की ओर क्रमिक संक्रमण की ओर बढ़ना चाहिए। **(प्रस्तर 4.59)**	संस्तुति स्वीकार की गयी।
(18) सरकारी उपक्रमों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के साथ–साथ पुनः तैनाती (रिडिप्लॉयमेन्ट) योजना लागू की जानी चाहिए तथा राज्य को धीरे–धीरे विनिवेश की ओर अग्रसर होना चाहिए विशेष रूप से चीनी उद्योग, विद्युत वितरण, कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम के पर्यटन तथा उद्योग सम्बंधी कार्यों के सम्बन्ध में जिन्हें सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर चलाया जाना चाहिए। हिलट्रॉन जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बंद कर देना चाहिए। सरकारी स्वामित्व वाली डोईवाला शुगर फैक्ट्री का निजीकरण कर देना चाहिए। सरकार को सहकारी चीनी मिलों में अपना अंश कम करना चाहिए और किसानों के अंश में बढ़ोत्तरी करनी चाहिए। किसानों को गन्ने का आंशिक मूल्य अंश पूंजी के रूप में अदा किया जाना चाहिए। **(प्रस्तर 4.68)**	संज्ञान में लिया गया सम्बन्धित विभाग कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
(19) देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी नगर निगमों तथा रूड़की, काशीपुर, नगरपालिका परिषदों में स्वयं कर निर्धारण सिद्धांत के आधार पर सम्पत्ति कर गणना की 'इकाई क्षेत्रफल प्रणाली' प्रारंभ की जानी चाहिए और उसे धीरे–धीरे अन्य नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों में लागू किया जाना चाहिए। **(प्रस्तर 6.32)**	संस्तुति स्वीकार की गयी।

(20) व्यवसाय कर लगाया जाए और उसे संबंधित शहरी स्थानीय निकायों तथा जिला पंचायतों को अपने–अपने क्षेत्राधिकार में सौंपा जाए और जिला पंचायतों में यह विभव व सम्पत्ति कर को प्रतिस्थापित करे। **(प्रस्तर 6.33)**	संज्ञान में लिया गया पंचायतीराज विभाग कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
(21) भर्ती और प्रशिक्षण की एक नियमित प्रणाली को लागू किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि 1999 के बाद स्थानीय निकायों की केंद्रीय सेवाओं में कोई भर्ती नहीं की गई है। **(प्रस्तर 6.48)**	संस्तुति स्वीकार की गयी।
(22) मास्टर प्लान क्षेत्र में जहां भी भू–उपयोग में कोई परिवर्तन हो तो शहरी स्थानीय निकायों को परिवर्तन शुल्क में हिस्सा मिलना चाहिए। **(प्रस्तर 6.69)**	संज्ञान में लिया गया आवास विभाग कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
(23) राज्य स्तर पर कुछ संस्थागत तंत्र होना चाहिए जो आवधिक रूप से स्थिति की समीक्षा करे और विभिन्न स्तरों की नगरपालिकाओं के गठन के बारे में निर्णय लेने में राज्य सरकार को सलाह दे। **(प्रस्तर 6.73)**	संस्तुति स्वीकार की गयी।
(24) बहुउद्धेश्यीय पारिवारिक सर्वेक्षण के शेष कार्य को यथा शीध्र तार्किक निष्कर्ष पर पहुँचाया जाए। **(प्रस्तर 6.82)**	संस्तुति स्वीकार की गयी।
(25) मास्टर प्लान के नियतकालीन संशोधन पर अधिक ध्यान देने के साथ प्रक्रिया को संस्थागत बनाकर एकीकृत शहर/नगर योजना को लागू किया जाए। **(प्रस्तर 6.83)**	संस्तुति स्वीकार की गयी।

(26) राज्य सरकार को शहरी प्रबंधन में एक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान की स्थापना करनी चाहिए। प्रारंभ में शहरी प्रबंधन में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के लिए संस्थागत ढांचे को उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी में खोला जा सकता है, क्योंकि यहां आवश्यक अवस्थापना तथा अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। संस्थान का अपना परिसर तथा अवस्थापनाएं स्थापित होने पर उसे वहां स्थानान्तरित किया जा सकता है। **(प्रस्तर 6.84)**	संस्तुति स्वीकार की गयी।
(27) शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों का लगभग अभाव है। उन्हें सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। **(प्रस्तर 6.87)**	संस्तुति स्वीकार की गयी।
(28) पंचायती राज संस्थाओं के सभी तीनों स्तरों को स्पष्ट रूप से परिभाषित तथा भिन्न कार्य क्षेत्र दिया जाय और उनके कार्य में आपस में कोई व्याप्ति (ओवरलैपिंग) न हो। ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार को अपने स्वयं का पंचायत अधिनियम प्रतिपादित करना चाहिए। **(प्रस्तर 7.39)**	संज्ञान में लिया गया पंचायती राज विभाग कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
(29) इसकी तत्काल आवश्यकता है कि (क) सभी शहरी स्थानीय निकायों के लिए समान बजट प्रारूप विकसित एवं निर्धारित किया जाय तथा (ख) शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रयोग करने के लिए समुचित लेखा सॉफ्टवेयर की पहचान की जाय एवं निर्धारित किया जाय और उनको अपनाना अनिवार्य किया जाय। **(प्रस्तर 10.7)**	संस्तुति स्वीकार की गयी।

(30) नगर निगम और बड़ी नगरपालिका परिषदों जैसे चुनिंदा शहरी स्थानीय निकायों में संपत्तिकर तथा लाईसेंस फीस के ऑनलाइन भुगतान तथा लोक शिकायतों के निस्तारण के लिए प्रायोगिक तौर पर शुरूआत की जानी चाहिए। धीरे-धीरे इसे अन्य शहरी स्थानीय निकायों में लागू किया जाना चाहिए। **(प्रस्तर 10.10)**	संस्तुति स्वीकार की गयी।
(31) इन संस्थाओं की जब तक अपनी स्वयं की क्षमता विकसित नहीं हो जाती, कर्मचारियों की कमी की भरपाई करने के लिए कार्यों को आउटसोर्स करने पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। **(प्रस्तर 10.11)**	संस्तुति स्वीकार की गयी।
(32) पंचायती राज तथा शहरी विकास निदेशालयों को उनके कर्मचारियों को यथोचित प्रशिक्षण देकर मज़बूत और ई-समर्थ (ई-इनेबल्ड) करने की आवश्यकता है ताकि वे स्थानीय निकायों को उनके ई-शासन (ई-गवर्नेस) कार्यक्रम में मार्गदर्शन दे सकें। **(प्रस्तर 10.13)**	संस्तुति स्वीकार की गयी।
(33) शहरी स्थानीय निकायों के लिए कर्मचारीवर्ग मापदंडों (स्टाफिंग नार्म्स) का मानकीकरण किया जाए तथा उसमें किसी भी प्रकार के विचलन को हतोत्साहन किया जाय। **(प्रस्तर 10.19)**	संस्तुति स्वीकार की गयी।
(34) शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में कर्मचारियों की कमी, विशेषकर अधिशासी अधिकारियों और कनिष्ठ अभियंताओं, को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाय। **(प्रस्तर 10.22)**	संस्तुति स्वीकार की गयी।

देहरादून:: दिनांक:: मार्च, 2015 वित्त, मंत्री

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 02 वित्त / 310-30-01-2015-300 प्रतियाँ (कम्प्यूटर / रीजियो)।

5)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त विभाग

विषयः— तृतीय राज्य वित्त आयोग,उत्तराखण्ड द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में स्पष्टीकारक ज्ञापन।

संविधान के अनुच्छेद 243 (झ) तथा 243 (म) में इंगित व्यवस्थानुसार पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के लिए संसाधनों के संक्रमण तथा उनकी वित्तीय व्यवस्था में सुधार के उपायों की संस्तुति देने हेतु तृतीय राज्य वित्त आयोग का गठन 02 दिसम्बर,2009 को किया गया था। इस आयोग ने अप्रैल,2011 से मार्च,2016 तक पाँच वर्षों की अवधि में प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को राज्य के शुद्ध कर राजस्व से अन्तरण की जानी वाली धनराशि तथा उनकी अन्य वित्तीय एवं प्रशासकीय व्यवस्थाओं के विषय में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार द्वारा आयोग की वित्तीय अन्तरण से सम्बंधित संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं:—

1—नगरीय स्थानीय निकायों को अन्तरण

आयोग द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को संस्तुत धनराशि का अन्तरण आयोग द्वारा इंगित प्रकियानुसार किया जायेगा।

2—पंचायतीराज संस्थाओं को अन्तरण

जिला पंचायतों को आयोग द्वारा यथा संस्तुत धनराशियों का अन्तरण तद्स्थान में इंगित प्रकियानुसार किया जायेगा। क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों हेतु संस्तुत की गई धनराशि का आधा अंश दिया जायेगा।

3—जिला पंचायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों के केन्द्रीयकृत व अकेन्द्रीयकृत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन आदि के लम्बित देयकों के भुगतान करने के लिए दी जाने वाली धनराशि में से लम्बित देयकों का भुगतान करने के बाद अवशेष राशि इन कर्मचारियों के सेवानिवृत्तिक लाभों के नियमित भुगतान हेतु अतिरिक्त स्रोत के रूप में सम्बंधित निधि में जमा की जाएगी।

4—आयोग की अन्य संस्तुतियों पर उनके वित्तीय, प्रशासनिक, व्यावहारिक एवं अन्य प्रासंगिक बिन्दुओं पर विचार कर समुचित निर्णय लिया जायेगा।

(डॉ. इन्दिरा हृदयेश)
वित्त मंत्री।

देहरादूनः दिनांकः 22 मई,2012